उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या- 19/2024/1225/तीस-4-2024-30-4099(099)/151/2021

लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्व तक रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय कर के विलम्ब संदाय हेतु शास्ति के संदाय से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर छूट प्रदान करते हैं:-

(1) परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों।

परन्तु यह कि, इस सुविधा के लाभ हेतु निम्नलिखित यान पात्र नहीं होंगे:

(क) अधिूसचना निर्गत होने के दिनांक को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान।

(ख) समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यान, जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदेय हो एवं लम्बित बकाया जमा न हो।

(2) परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों।

(3) उन्हें वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(4) ऐसे परिवहन यानों के स्वामी या वित्त पोषक, जिन पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो।

(5) परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।

(6) यान स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 कि0ग्रा0 सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200/- रूपये की धनराशि एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500/- रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(7) आवेदन, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक तक किया जायेगा।

(8) कोई आवेदन उपरोक्त शर्त संख्या-7 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर तथा साथ ही साथ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। इस छूट से सम्बन्धित कोई सूचना यान स्वामियों को पृथकतः नहीं दी जायेगी।

(10) इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्व किसी परिवहन यान के विरूद्ध जमा कर एवं शास्तियाँ प्रतिदेय नहीं होगी।

(11) स्वामी, यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि 'एकमुश्त' जमा करेगा।

(12) कोई यान, जो अस्तित्व में न हो, का कर, यान के अस्तित्व में होने तक जमा किया जायेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22-क में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार यान अस्तित्व में नहीं है तो कर का अपलिखित (बट्टे खाते में डालना) एवं यान रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

(13) आवेदक/लाभार्थी को सम्बन्धित जिला के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(14) सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी शासकीय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात इस अधिसूचना के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2024/1225(1)/तीस-4-2024-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 06 नवम्बर, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-19/2024/1225(2)/तीस-4-2024-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-19/2024/1225(3)/तीस-4-2024-30-4099(099)/151/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रश्नगत अधिसूचना आदेश के अनुपालनार्थ तथा इस आशय से भी प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9- विधायी अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASHAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 19/2024/1225/XXX-4-2024-30-4099(099)/151/2021 dated 06 November, 2024.

NOTIFICATION

ORDER

No.19/2024/1225/XXX-4-2024-30-4099(099)/151/2021
Lucknow ; Dated : 06 November, 2024

In exercise of the powers conferred under section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) the Governor is pleased to exempt, for a period of three months from the date of publication of this notification in the Gazette, the transport vehicles registered before the date of publication of this notification in the Gazette from the payment of penalty for late payment of tax payable on the following terms and conditions: -

(1) All owners of transport vehicles or their legal heirs whose cases are pending before various Courts:

Provided that following vehicles shall not be eligible to avail this facility:-

a. all types of transport vehicles registered on or after the date of issue of notification;

b. all types of unregistered transport vehicles, on which due taxes have been payable before the date of notification and are pending due to not deposit.

(2) All owners of transport vehicles or their legal heirs whose appeals/revisions against taxes/penalties are pending before Deputy Transport Commissioner (Zone) or Deputy Transport Commissioner (Passenger Tax).

(3) They shall have to submit an application before the concerning Courts/Deputy Transport Commissioner (Zone) /Deputy Transport Commissioner (Passenger Tax), as the case may be, for withdrawal of the cases.

(4) The owners or financiers of such transport vehicles possession of which have been taken under section 51 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988).

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) All owners of transport vehicles or their legal heirs against whom Recovery Certificate has been issued for taxes and penalties up to the date of publication of this notification in the Gazette, shall also be eligible under this notification.

(6) The vehicle owners or his legal heirs shall have to submit the application with an amount of Rs.200/-, in case of three wheelers and Light Motor Vehicles (Gross Vehicle Weight up to 7500 kg) and an amount of Rs. 500/- for remaining Vehicles, as application fee to the Assistant Regional Transport Officer (Administration)/Taxation Officer as per the procedure laid down by the Department.

(7) Application shall be submitted from the date of publication of this notification in the Gazette till the date of having effect of this notification.

(8) No application shall be entertained after expiry of the period as specified in condition no. 7 above.

(9) This notification shall be published on the website- http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ of the Transport Department and as well as in leading newspapers. Any information regarding this exemption would not be given separately to the owners of vehicles in person.

(10) Taxes and penalties deposited, before the date of publication of this notification in the Gazette, against any transport vehicle shall not be refundable.

(11) The owner shall deposit the total amount of taxes dues on the vehicles in 'lump sum'.

(12) The tax of any vehicle that is not in existence, shall be deposited upto the period of existence of the vehicle and if it is proved that the vehicle is not in existence as per the procedure mentioned in rule 22 A of Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Rules, 1998, then the writing off of the tax and cancellation of registration of vehicle shall be done as per the aforesaid rules.

(13) The applicant/beneficiary shall have to submit the application to Assistant Regional Transport Officer (Administration)/ Taxation Officer of the concerned district as per the procedure laid down by the Transport Department.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) The concerned Assistant Regional Transport Officer (Administration)/ Taxation Officer shall ensure follow-up action under this notification after examining the application on the basis of official record.

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।